UPJL010012422026

Presented on : 28-02-2026
Registered on : 28-02-2026
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 0 months, 11 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)

Criminal Misc. Cases/3000039/2026
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–39/2026

श्रीमती विनीता, पत्नी श्री अमित कुमार, निवासी ग्राम खरूसा, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।
.....आवेदिका

बनाम

1. श्रीमती शिवानी प्रजापति, पत्नी श्री ओमकेश प्रजापति, पुत्री श्री श्यामजी, निवासी सपा कार्यालय के पास पटेल नगर, उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन (भाभी)।
2. श्याम जी, पुत्र श्री छुन्नीलाल (विपक्षी सं. 01 के पिता)
3. अभिषेक उर्फ अंशू, पुत्र श्री श्यामजी (विपक्षी सं. 1 का भाई)
4. अंकित, पुत्र अज्ञात (विपक्षी सं. 1 का चचेरा भाई)
निवासीगण ग्राम बोहदपुरा, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।
5. दो व्यक्ति नाम व पता अज्ञात। .....विपक्षीगण

दिनांक–11.03.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदिका श्रीमती विनीता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि प्रार्थिनी दिनांक 31.12.2025 को सुबह 9 बजे अपने ग्राम खरूसा से अपने मायके सपा कार्यालय के पास, पटेल नगर, उरई अपने पिता रामविहारी प्रजापति के यहां अपनी पुत्री सौम्या को लेने आयी थी, तभी जब प्रार्थिनी सुबह लगभग 10:30 बजे अपने पिता के घर की बैठक में अपनी नावालिग 16 वर्षीय पुत्री सौम्या के साथ बैठी थी और प्रार्थिनी के माता पिता पास में ही अपनी दुकान को खोलने गये थे, तभी मौका पाकर पहले से ही घात लगाये प्रार्थिनी के रिश्ते में भाभी शिवानी प्रजापति व उसके भाई अभिषेक उर्फ अंशु, पुत्र श्यामजी व अन्य अंकित, पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बोहदपुरा, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन बैठक में आये और प्रार्थिनी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर गंदी गंदी गालियां देने लगे। प्रार्थिनी विनीता व उसकी नावालिग पुत्री सौम्या ने विरोध किया, तो अंकित ने प्रार्थिनी के पैर पकड़ लिये और अभिषेक उर्फ अंशू प्रार्थिनी को गंदी गंदी गालियां देते हुये अश्लील हरकत कर उसे नग्न करने का प्रयास करने लगे, तो प्रार्थिनी की पुत्री सोम्या कमरे से बाहर नानी नानी को बुलाने बाबत दौड़कर भागी, तो प्रार्थिनी की भाभी शिवानी प्रजापति ने प्रार्थिनी की पुत्री को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी माँ और नाना नानी को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नही छोड़ेगें। इस बीच शिवानी प्रजापति ने फोन कर अपने पिता श्याम जी, पुत्र छुन्नीलाल समेत दो अन्य लोगों को बुला लिया, जब शिवानी के पिता व अन्य दो लोगों को प्रार्थिनी विनीता के माता पिता ने अपने घर आता देखा, तो वह

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.03.11 15:45:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दुकान बंद कर अपने घर आने लगे, इसी बीच अभिषेक उर्फ अंशू ने प्रार्थिनी विनीता के गले में डली 15 ग्राम की चेन छीन ली और शिवानी प्रजापति ने प्रार्थिनी के पर्स में डले 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) छीन लिये और इस दौरान शोरगुल सुनकर लोगों को आता देख शिवानी प्रजापति के पिता श्यामजी ने कहा कि अभी यहां से चलो, बाद में इन सभी को देखेगें, तब श्यामजी, अभिषेक उर्फ अंशु व अंकित समेत अन्य दोनो लोग मौका पाकर लोगों को आता देख जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये, इसके पूर्व दिनांक 30.12.2025 को फोन नं0 8542898583 से प्रार्थिनी के पति अमित कुमार के नम्बर 9711796255 पर रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच फोन आया और कहा कि वह अपनी पुत्री सोम्या को वापस ग्राम खरूसा बुला ले, अन्यथा सही नही होगा और अश्लील गाली गलौज करते हुये कहा कि यदि तुमने पुत्री को नही बुलाया तो हम तुम्हें व तुम्हारी पुत्री को जिंदा जला देगें, जिसकी रिकार्डिंग प्रार्थिनी के मोवाइल में सुरक्षित है, जिसकी सूचना प्रार्थिनी ने रात में ही 1076 में कॉल की और उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी, जिसका आवेदन सं. 92516500037329 है। उक्त घटना से प्रार्थिनी विनीता व उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान है और उन्हें डर है कि उनके व उनके परिवारीजनों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है क्योंकि सभी दबंग किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थिनी द्वारा उसके साथ घटित घटना सम्बन्धित शिकायतें प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई व क्षेत्राधिकारी महोदय नगर, उरई एवं पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को की गयी, तो उनके द्वारा प्रार्थिनी की समस्या को नहीं सुना गया और न ही उसके द्वारा दिये गये साक्ष्यों को तबुज्जो दिया गया और सीधे प्रार्थिनी को झूठा फरेबी कहते हुये धमकाया गया और अछूत जैसा व्यवहार किया गया, तब प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को दिनांक 31.12.2025 को भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी, तब प्रार्थिनी ने माननीय श्रीमान अपर जिला जज प्रथम के यहां भारतीय मानवाधिकार ऐसोसियेशन द्वारा टी.आई.आर. दिनांक 16.01.2026 को दाखिल की गयी, लेकिन जनपद में प्रथम टी.आई.आर. होने का मामला होने चलते भारतीय मानवाधिकार ऐसोशियेशन द्वारा टी.आई.आर. से सम्बन्धित न्यायालय प्रक्रिया सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण माननीय श्रीमान अपर जिला जज प्रथम, जनपद जालौन स्थान उरई द्वारा टी.आई.आर. पंजीकृत नही की गयी, तब प्रार्थिनी ने दिनांक 25.02.2026 को टी.आई.आर. प्रार्थना पत्र वापिस ले लिया, तब प्रार्थिनी श्रीमान न्यायालय की शरण में आयी है। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थिनी का यह प्रथम प्रार्थना पत्र है, जो श्रीमान जी के न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली उरई को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर उक्त मुल्जिमानों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

अभिलेखीय साक्ष्य में स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, कोतवाली उरई को प्रदत्त प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, पुलिस उपाधीक्षक, स्थान उरई, जिला जालौन को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक, जालौन स्थान उरई को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, जनसुनवाई पोर्टल की रसीद, मूल रजिस्ट्री डाक रसीदे व ट्रेकिंग रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी श्रीमती विनीता ने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि दिनांक 31.12.2025 को, समय करीब सुबह 10.30 बजे जब प्रार्थिनी अपने पिता के घर की बैठक में अपनी नावालिग 16 वर्षीय पुत्री के साथ बैठी थी, तभी विपक्षीगण बैठक में घुसकर गालियां देने लगे, प्रार्थिनी व उसकी नावालिग पुत्री ने विरोध किया, तो अंकित ने प्रार्थिनी के पैर पकड़ लिये और अभिषेक उर्फ अंशू ने प्रार्थिनी को गंदी–गंदी गालियां देने तथा अश्लील हरकते कर उसे नग्न करने का प्रयास किया तथा प्रार्थिनी की पुत्री को जान से मारने की धमकी दी तथा अभिषेक उर्फ अंशू द्वारा प्रार्थिनी के गले में पडी 15 ग्राम की चेन छीन ली तथा शिवानी प्रजापति ने प्रार्थिनी के पर्स में डले 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) छीन लिये तथा जान से मारने की धमकी दी। अतः कहे गये कथनों के प्रकाश में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी श्रीमती विनीता द्वारा प्रदत्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को, धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली उरई को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में सुसंगत धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करके नियमानुसार विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक–11.03.2026

(डॉ. अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.),
जालौन स्थान उरई।